

अचल सम्पत्तियों के लिए सार्वजनिक नीलामी बिक्री सूचना

जबकि, बड़ौदा यू.पी. बैंक के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन एवं प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 (सरफेसी अधिनियम 2002) (2002 का 54) एवं प्रतिभूतिहित (प्रवर्तन) नियम 2002 की धारा 13(12) सपडित नियम 8(6) के अन्तर्गत प्रवर्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित ऋणियों को एक मांग नोटिस जारी की गई थी तथा बंधक सम्पत्तियों पर कब्जा भी लिया गया है। इस सूचना के द्वारा सार्वजनिक रूप से जनसामान्य व ऋणी / बंधककर्ता / जमानतकर्ता को सूचित किया जाता है कि सम्बन्धित मामलों में बकाया धनराशि की वसूली हेतु नीचे दर्शायी गई सम्पत्तियों की बिक्री प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के निम्नलिखित विवरणानुसार बड़ौदा यू.पी. बैंक बस्ती के ऋण खाते में बन्धक रखी हुई सम्पत्तियों की नीलामी "जहाँ है जैसी है, जो है जैसी है, जो कुछ भी है" के आधार पर नीलामी हेतु प्राप्त टेण्डरों में से सर्वाधिक राशि के टेण्डरों के पक्ष में की जायेगी।

जनसाधारण और विशेष रूप से कर्जदार (रौ) और गारंटीदाता (ओ) / बंधककर्ता (ओ) को एतद्वारा दोबारा सूचित किया जाता है कि प्राधिकृत अधिकारी ने सरफेसी अधिनियम, 2002 के अधीन निम्नांकित अचल सम्पत्तियों के लिए बोली / निविदाएं आमंत्रित करने का निर्णय लिया है। इसलिए, इच्छुक व्यक्तियों / बोलीदाताओं को दिनांक **02.03.2024** को या उससे पहले, बड़ौदा यू.पी. बैंक, क्षेत्रीय कार्यालय, बस्ती में मुहरबन्द लिफाफे में, निम्नांकित नियम व शर्तों को पूरा करके अपनी बोली प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित किया जाता है। बोली दिनांक **04.03.2024** को समय दोपहर 12:00 बजे खोली जाएगी। उधारकर्ता का ध्यान प्रतिभूति आस्तियों के मोचन के लिए उपलब्ध समय के सन्दर्भ में उक्त अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के उपबन्धों की ओर आकृष्ट किया जाता है।

क्र. सं.	ऋणी/बंधककर्ता का नाम	सम्पत्ति का विवरण/मालिक का नाम	मांग सूचना तिथि/अभिप्रेत तिथि/अधिष्ठाण प्रकार	बकाया धनराशि/लगी धनराशि (रु०)	आरक्षित मूल्य/धरोहर राशि
शाखा: बस्ती, सम्पर्क- 9453180647					
1.	ऋणी: मेसर्स विशाल फार्मा, प्रोप. गगन श्रीवास्तव विधिक उत्तराधिकारी: श्रीमती पल्लवी श्रीवास्तव, निवासी मकान सं. 1383/6 ओरिजोत बेलवाडाडी पोस्ट गांधी नगर, तहसील बस्ती, जिला बस्ती जमानतकर्ता / बंधककर्ता: 1. अशोक कुमार श्रीवास्तव पुत्र बृज बिहारी लाल, ग्राम- मकान सं. 1383/6 ओरिजोत, बेलवाडाडी पोस्ट गांधीनगर, बस्ती 2. चंद्र प्रकाश पाण्डेय, ग्राम, ओरिजोत, बेलवाडाडी पोस्ट गांधीनगर, बस्ती	सम्पत्ति / भूमि का पंजीकृत बंधक, पंजीकृत डीड सं. क्र.सं. 2269 बही सं. 1, जिल्द सं. 7766 पेज सं. 309-348 दिनांक 16.03.2018, प्लॉट सं. 30 का क्षेत्रफल 0.02525 हेक्टेयर निर्मित दो मंजिला भवन, मकान सं. 1383 वार्ड 6 नगर पालिका परिषद बस्ती स्थित ग्राम-ओरिजोत तप्पा हवेली परगना बस्ती पूर्व तहसील एवं जिला बस्ती (यूपी), मालिक: श्री अशोक कुमार श्रीवास्तव पुत्र बृज बिहारी लाल श्रीवास्तव, मोहल्ला ओरिजोत पोस्ट- गांधी नगर, जिला बस्ती, चौहद्दी: पूर्व: हरी प्रसाद भारती के मकान के बाद गली, पश्चिम: राम चंद्र त्रिपाठी के मकान के बाद गली, उत्तर: कृष्ण देव तिवारी के मकान के बाद रास्ता, दक्षिण: डॉ. के.पी. शुक्ला का क्लीनिक	20.07.2021 12.10.2021 सांकेतिक कब्जा	रु. 41,37,402.73 + दिनांक 24.06.2021 तक + ब्याज और अन्य खर्चे	70,83,900.00 7,08,390.00

शाखा: कलवारी, सम्पर्क- 858261626					
2.	ऋणी: श्री नंदलाल पुत्र हरीलाल, ग्राम कलवारी मुस्तकहम पो0-कलवारी जिला- बस्ती जमानतकर्ता / बंधककर्ता: 1. हरीलाल पुत्र बासदेव, ग्राम कलवारी मुस्तकहम पो0-कलवारी जिला- बस्ती 2. दिलीप कुमार पुत्र राम प्रसाद, ग्राम कलवारी मुस्तकहम पो0-कलवारी जिला- बस्ती	हरीलाल पुत्र बासदेव के नाम सम्पत्ति , जिसका मकान एवं बंधक क्षेत्रफल 12 धुर / 75.9 वर्गमीटर स्थित ग्राम कलवारी, मुस्तकहम, पोस्ट- कलवारी जिला बस्ती (यूपी), चौहद्दी: उत्तर- थाना, पूर्व- मकान रामदेव, दक्षिण- रास्ता, पश्चिम- अयोध्या सिंह का मकान	11.05.2022 22.08.2022 सांकेतिक कब्जा	रु. 4,72,838 / - + दिनांक 16.04.2022 तक + ब्याज और अन्य खर्चे	16,74,000.00 1,67,400.00

शाखा: गायघाट, सम्पर्क- 6307585522					
3.	ऋणी: मेसर्स त्रिपाठी ट्रेडर्स, प्रोप. श्री ऋषिकेश पुत्र ओम प्रकाश, पता- ग्राम सिंगाही पोस्ट-मनोवा जिला-बस्ती जमानतकर्ता / बंधककर्ता: 1. राकेश कुमार तिवारी पुत्र ओम प्रकाश, ग्राम- सिंगाही पोस्ट-मनोवा, बस्ती 2. सकले आनम पुत्र विष्णु, ग्राम-गायघाट, जनपद-बस्ती	सम्पत्ति के सभी भाग व खण्ड को मिलाकर प्लॉट 382, क्षेत्रफल 460 वर्गमीटर, राजस्व ग्राम- पक, परगना- नगर पूर्व, बस्ती, मालिक: राकेश कुमार तिवारी पुत्र ओम प्रकाश एवं श्री ऋषिकेश तिवारी पुत्र ओम प्रकाश, सेल डीड दिनांक 19.05.2017 को बही सं. 1, जिल्द सं. 7309 पृष्ठ 169 से 192 पर क्रमांक 2546 को रजिस्ट्रीकृत किया गया, चौहद्दी: (डीड के अनुसार): पूर्व: राम नगीना की कृषि भूमि, पश्चिम: प्लॉट संजय, धनन्जय, उत्तर: लालमणि का प्लॉट, दक्षिण: चक्रोड	18.09.2021 11.03.2022 सांकेतिक कब्जा	रु. 12,33,185 / - + दिनांक 18.09.2021 तक + ब्याज और अन्य खर्चे	4,14,000.00 41,400.00

4.	ऋणी: सर्वेश सीमेंट एजेंसी, प्रोप. सर्वेश कुमार पुत्र श्री ओम प्रकाश ग्राम- सिंगाही, पोस्ट- मनोवा, जनपद-बस्ती जमानतकर्ता / बंधककर्ता: 1. ओम प्रकाश पुत्र राम हित, ग्राम- सिंगाही, पोस्ट- मनोवा, जनपद-बस्ती 2. सूर्य प्रकाश पुत्र राम हित, ग्राम- सिंगाही, पोस्ट- मनोवा, जनपद-बस्ती	1. सम्पत्ति के सभी भाग व खण्ड को मिलाकर प्लॉट सं. 331, क्षेत्रफल 0.007 हेक्टेयर, राजस्व ग्राम-तुरकोलिया, तप्पा-कनैला, परगना-नगर पूर्व, बस्ती, मालिक: ओम प्रकाश पुत्र राम हित, सेल डीड दिनांक 08.10.2018 को बही सं. 1, जिल्द सं. 8120 पृष्ठ 333 से 356 पर क्रमांक 8860 रजिस्ट्रीकृत किया गया, चौहद्दी: (डीड के अनुसार): पूर्व- चक्रोड, पश्चिम- राम आशीष की भूमि, उत्तर- कलावती भूमि प्लॉट 330, दक्षिण- कमला देवी की भूमि 2. सम्पत्ति के सभी भाग व खण्ड को मिलाकर प्लॉट सं. 332 क्षेत्रफल 0.008 हेक्टेयर, राजस्व ग्राम-तुरकोलिया, तप्पा-कनैला, परगना-नगर पूर्व, बस्ती, मालिक: कमला देवी पत्नी राम हित, चौहद्दी: (डीड के अनुसार): पूर्व- चक्रोड, पश्चिम- राम आशीष का प्लॉट, उत्तर- ओम प्रकाश का प्लॉट, दक्षिण- सूर्य प्रकाश का प्लॉट 3. सम्पत्ति के सभी भाग व खण्ड को मिलाकर प्लॉट सं. 333, क्षेत्रफल 0.007 हेक्टेयर, राजस्व ग्राम-तुरकोलिया, तप्पा-कनैला, परगना नगर पूर्व, बस्ती, मालिक: सूर्य प्रकाश पुत्र राम हित, चौहद्दी: (डीड के अनुसार): पूर्व- चक्रोड, पश्चिम- राम आशीष का प्लॉट, उत्तर- कला देवी को प्लॉट, दक्षिण- शिव पूजन का प्लॉट	18.09.2021 22.08.2022 सांकेतिक कब्जा	रु. 5,65,338 / - + दिनांक 18.09.2021 तक + ब्याज और अन्य खर्चे	2,97,000.00 29,700.00
----	--	--	--	--	--

5.	ऋणी: मेसर्स विश्वास वाशिंग पाउडर, प्रोप. श्याम कुमार पुत्र श्री राम, ग्राम- गायघाट, परगना-महुली पश्चिम तहसील-बस्ती जमानतकर्ता / बंधककर्ता: 1. राम ब्रिच यादव पुत्र हरी शंकर नाथ, ग्राम-देवरिया, पोस्ट-गायघाट, तप्पा-चरकैला, परगना महुली पश्चिम जनपद बस्ती 2. राजेश कुमार पुत्र राम अजोर, ग्राम-मकान	प्लॉट सं. 456 स मि की भूमि एवं शेड, राजस्व ग्राम- गायघाट, तप्पा-चरकैला, परगना महुली पश्चिम, बस्ती, मालिक: श्री श्याम कुमार पुत्र श्री राम, क्षेत्रफल- 190 वर्गमीटर, सेल डीड दिनांक 13.12.2017 को बही संख्या 1 एवं जिल्द संख्या 7609 पृष्ठ संख्या 75 से 100 पर क्रमांक 6853 रजिस्ट्रीकृत किया गया, चौहद्दी: (डीड के अनुसार): पूर्व- 10.0 चौड़ा खड्डा रास्ता, पश्चिम- रवीन्द्रनाथ की खाली भूमि, उत्तर- हरी राम की खाली भूमि, दक्षिण- पप्पू का मकान	15.12.2021 11.03.2022 सांकेतिक कब्जा	रु. 9,94,509.00 + दिनांक 15.12.2021 तक + ब्याज और अन्य खर्चे	19,08,900.00 1,90,890.00
----	--	--	--	---	---

शाखा: गौर, सम्पर्क- 7705842518					
6.	ऋणी: मोहम्मद युसूफ पुत्र नेवास अली, ग्राम- सुजिया, पोस्ट- गौर, तहसील-हरैया, जनपद-बस्ती जमानतकर्ता / बंधककर्ता: 1. श्री अब्दुल मतीन पुत्र अब्दुल रहीम, ग्राम-मझुआ, पोस्ट-इनपुर जनपद-बस्ती 2. श्री सकील अहमद पुत्र नेवास अहमद अली, ग्राम-सुजिया, पोस्ट-गौर जनपद-बस्ती	निर्मित मकान / दुकान, क्षेत्रफल- 376.37 वर्गमीटर, प्लॉट सं. 212 मि, ग्राम सुजिया, पोस्ट-गौर, परगना-बस्ती पश्चिम, तहसील-हरैया, बस्ती, मालिक: मोहम्मद युसूफ पुत्र नेवास अली, ग्राम-सुजिया, पोस्ट-गौर, बस्ती, डीड दिनांक 02.06.2016 को बही सं. 1 एवं जिल्द सं. 4492 पृष्ठ सं. 153 से 186 पर क्रमांक 3777 रजिस्ट्रीकृत किया गया, चौहद्दी: (डीड के अनुसार): पूर्व- शकील अहमद की भूमि, पश्चिम- सड़क, उत्तर- शकील अहमद की भूमि, दक्षिण- जमील अहमद का मकान	18.09.2021 03.12.2021 सांकेतिक कब्जा	रु. 3,33,608.00 + दिनांक 18.09.2021 तक + ब्याज और अन्य खर्चे	21,06,000.00 2,10,600.00

शाखा: विक्रमजोत, सम्पर्क- 8191001635					
7.	ऋणी: मेसर्स मनोज किराना स्टोर, प्रोप. मनोज पुत्र रामदीन, ग्राम- विक्रमजोत, पोस्ट-शंकरपुर, तहसील-हरैया, जनपद- बस्ती जमानतकर्ता / बंधककर्ता: 1. श्री अनिल कुमार पुत्र रामदीन, ग्राम-विक्रमजोत, पोस्ट-शंकरपुर, जनपद-बस्ती 2. रामदीन पुत्र वृत्तन्ती, ग्राम-विक्रमजोत, पोस्ट-शंकरपुर, तहसील-हरैया, जनपद-बस्ती	सेल डीड संख्या 5598 के अनुसार सम्पत्ति / भूमि का साम्बिक बंधक पंजीकृत 21.09.2007, बुक सं. 1 भाग सं. 1718, पेज सं. 299 से 318, क्षेत्रफल: 44.61 वर्ग मी., स्थित ग्राम-विक्रमजोत, पोस्ट-शंकरपुर, तप्पा-बेलवा, परगना-अमोड, तहसील-हरैया, जिला-बस्ती, मालिक-रामदीन पुत्र वृत्तन्ती ग्राम-विक्रमजोत, पोस्ट-शंकरपुर, तहसील-हरैया, जिला-बस्ती चौहद्दी: पूर्व: मो. उमर का मकान, पश्चिम: सीसी रोड, उत्तर: यासीन अहमद का मकान, दक्षिण: विश्वनाथ का मकान	09.12.2020 03.03.2021 सांकेतिक कब्जा	रु. 4,69,549.00 + दिनांक 19.12.2020 तक + ब्याज और अन्य खर्चे	5,76,000.00 57,600.00

शाखा: सोनह, सम्पर्क- +91 8874946361					
8.	ऋणी: श्री राज किशोर पुत्र राजाराम (पी.के. ज्वैलर्स) पता: ग्राम-खैरा, पो-घोसाद, तहसील-भानपुर, जिला-बस्ती विधिक उत्तराधिकारी: श्रीमती गंगोत्री देवी पत्नी राज किशोर, ग्राम-खैरा, पो-घोसाद, तप्पा-छपिया, भानपुर, बस्ती) जमानतकर्ता / बंधककर्ता: 1. श्रीमती गंगोत्री देवी पत्नी राज किशोर, ग्राम-खैरा, पो-घोसाद, तप्पा-छपिया, भानपुर, बस्ती 2. प्रदीप कुमार सिंह पुत्र विश्वनाथ सिंह, ग्राम एवं पो-भानपुर, बस्ती	भूमि/भवन/प्लॉट का साम्बिक/पंजीकृत बंधक, सेल डीड 1756/09 के माध्यम से खरीदा, क्षेत्रफल 13.94 वर्ग मी., स्थित ग्राम-भानपुर, तप्पा-छपिया, परगना-रसूलपुर, तहसील-भानपुर, बस्ती, मालिक-गंगोत्री देवी पत्नी राज किशोर के नाम से, निवासे ग्राम-खैरा, पो-घोसाद, भानपुर, बस्ती चौहद्दी: पूर्व: बस्ती डूमरिआ गंज रोड, पश्चिम: राम प्रसाद मकान, उत्तर: राम प्रसाद मकान, दक्षिण: जय राम सिंह का मकान	22.07.2021 13.10.2021 सांकेतिक कब्जा	रु. 9,81,690.00 + दिनांक 22.07.2021 तक + ब्याज और अन्य खर्चे	10,18,800.00 1,01,880.00

बिक्री के नियम एवं शर्तें: 1. इच्छुक बोलीदाताओं को मुहरबन्द लिफाफे में अपनी बोली जमा करनी है। (लिफाफे को ऊपर स्पष्ट और पठनीय बोली क्रम सं. एवं प्रकाशन की तिथि वर्णित होनी चाहिए) 2. बोलीदाताओं को बोली के साथ अग्रिम में बस्ती में देययोग्य एवं प्राधिकृत अधिकारी, बड़ौदा यू.पी. के पक्ष में डीडी / बैंकर्स चेक के रूप में जमा धरोहर राशि के रूप में आरक्षित मूल्य का 10% जमा / संलग्न करना होगा। सर्वोच्च बोली मूल्य (आरक्षित मूल्य से कम की नहीं होनी चाहिए) को सफल बोलीदाता के रूप में माना जाएगा। और शेष असफल बोलीदाताओं की ईएमडी एक सप्ताह के अन्दर बिना किसी ब्याज के वापस कर दी जाएगी। 3. सफल बोलीदाता को नगद के रूप में उसी दिन बोली रकम (ईएमडी को छोड़कर) का 15% जमा करना होगा और शेष अनिवार्य रूप से बिक्री की पुष्टि के 15 दिनों के अन्दर जमा करना होगा, अगर वे ऐसा नहीं करते हैं तो उनके द्वारा पूर्व में जमा की गयी रकम जब कर ली जाएगी। 4. प्राधिकृत अधिकारी बिना कोई कारण बताये या पूर्व सूचना दिये बिना बोली को स्वीकार / अस्वीकार / रद्द / निलंबित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। प्राधिकृत अधिकारी बिक्री / नीलामी की तिथि को बढ़ाने का अधिकार सुरक्षित रखता है। 5. प्राधिकृत अधिकारी किसी भी प्रकार के बकाया प्रभारों / देनदारियों / भार / करों / सरकारी बकायों और अन्य पक्ष के दावों व बकायों के लिए जवाबदेह नहीं होंगे। 6. सम्पत्ति को आरक्षित मूल्य से कम में किसी भी रकम पर बेचा नहीं जाएगा। सफल बोलीदाता को सभी स्टाम्प ड्यूटी एवं पंजीकृत अधिकारी बिना कोई कारण बताये या पूर्व सूचना दिये बिना बोली को स्वीकार / अस्वीकार / रद्द / निलंबित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। प्राधिकृत अधिकारी बिक्री / नीलामी की तिथि को बढ़ाने का अधिकार सुरक्षित रखते हैं। 8. बोली / बिक्री बैंक की पुष्टि के अधीन होगी। सम्पत्ति को "जैसा है जहा है", "जैसा है जो कुछ है" और "वहां जो कुछ भी है" आधार पर बेचा जा रहा है। 9. अगर कोई कर्जदार / गारंटीदाता / बंधककर्ता नीलामी से पहले बैंक को पूर्ण बकाये का मुगतान कर देता है तो नीलामी को रोक दिया जाएगा। अतः कर्जदार / गारंटीदाता / बंधककर्ता के पास नीलामी से पूर्व प्रतिभूत आस्तियों को निर्गत करने का अवसर होगा जो प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियम, 2002 की धारा 13 की उप - धारा (8) प्रतिभूति हित (प्रवर्तन संशोधन नियमों 2002 द्वारा) के अधीन बकाया पूर्ण राशि एवं प्रभारों के मुगतान के अधीन होगा। 10. यह बोलीदाताओं की एकमात्र जिम्मेदारी है कि वे सम्पत्तियों के संबंध में संतुष्ट एवं पुष्ट हो लें। व अपराह्न 2:00 बजे से साय 5:00 बजे तक किसी भी कार्यदिवस पर संबंधित शाखा से समय लेकर सम्पत्ति को देख कर निरीक्षण कर सकते हैं। 11. यह बिक्री नोटिस कर्जदारों / गारंटीकर्ताओं (ओं) / बंधककर्ताओं (ओं) के लिए विशेष रूप से तथा जनता / सर्वसाधारण के लिए सामान्य रूप से है। 12. बिक्री के विस्तृत नियम एवं शर्तों के लिए कृपया प्रतिभूत लेनदारों की वेबसाइट में प्रदान किए गये लिंक यानि <https://www.barodaupbank.in/sarfesinotice.php> देखें।